राज्य बाल संरक्षण समिति
संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग
ब्लॉक 01, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर छत्तीसगढ़

क्रमांक/7452/मबावि/आईसीपीएस/16–17 रायपुर, दिनांक 19.12.2016

"विज्ञापन"

किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के प्रावधानों के अनुसार खुला आश्रय गृह की स्थापना व संचालन के सम्बन्ध में प्रस्ताव का आमंत्रण

किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 43 मे दिये गये प्रावधानों के अनुसार देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को आश्रय सुविधा उपलब्ध कराने के उददेश्य से नीचे दर्शायें गये जिलों में खुला आश्रय गृह स्थापना के लिए **पंजीकृत अशासकीय संस्थायें/स्वैच्छिक संगठन जो बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत हो, वित्तीय रूप से सक्षम हो तथा देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए खुला आश्रय गृह (प्रत्येक गृह की क्षमता 25 बच्चों की होगी) संचालन के इच्छुक हों, से दिनांक 7 जनवरी 2016 तक जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं ।**

खुला आश्रय गृह (बालक) – राजनांदगांव, कांकेर, नारायणपुर, बलौदाबाजार, एवं गरियाबंद जिला मुख्यालय में यथासंभव रेल्वे स्टेशन/बस स्टैंड के निकट खुला आश्रय गृह स्थापित करना होगा।

खुला आश्रय गृह (बालिका) – कोरिया, सुकमा, महासमुंद रायपुर एवं बिलासपुर जिला मुख्यालय में यथासंभव रेल्वे स्टेशन/बस स्टैंड के निकट यह आश्रय गृह स्थापित करना होगा।

बालक एवं बालिका दोनों के लिए पृथक पृथक संस्थायें संचालित होंगी। खुला आश्रय गृह **(Open Shelter Home for Children)** की स्थापना एवं संचालन हेतु इच्छुक संस्थायें संबंधित जिले के कलेक्टर/जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास/जिला बाल संरक्षण अधिकारी को सभी दस्तावेज एवं विवरण सहित आवदेन प्रस्तुत कर सकेंगे। आश्रय गृह की स्थापना के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश/मापदण्ड एवं आवेदन का प्रारूप संबंधित जिलों के महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यालय अथवा www.cgstate.gov.in तथा महिला एवं बाल विकास विभाग (www.cgwcd.gov.in) के वेब पोर्टल पर उपलब्ध है।

टीप :– इस हेतु गत वर्ष जारी किये गये विज्ञापन को निरस्त माना जावे। पूर्व में आवेदित सभी संस्थाओं को वर्ष 2016–17 में पुनः आवेदन करना होगा।

अध्यक्ष
छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण समिति
एवं सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग

दत्तक ग्रहण एजेन्सी/आश्रय गृह/बालगृह की स्थापना हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

.....
.....
.....

दत्तक ग्रहण एजेन्सी/आश्रय गृह/बालगृह हेतु प्रस्तावित जिला :– .....

1. आवेदित संस्था का नाम :– .....

2. **संस्था का पंजीकरण संख्या तथा किस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है ।**
:– .....

3. स्थायी पता :–.....
.....

4. (पत्र व्यवहार का पता) :– .....
दूरभाष/मोबाईल/ईमेल :– .....

5. संस्था का प्रयोजन
   - बालक देखरेख एवं संरक्षण ☐
   - बालिका देखरेख एवं संरक्षण ☐
   - अन्य आवश्यकता वाले बच्चों की देखरेख व संरक्षण ☐
   - बालक /बालिका से जुडे अन्य विषय ☐

5. क्या संस्था किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 के तहत निर्धारित ढॉचागत व्यवस्था का अनुपालन करती है :– हॉ ☐
नहीं ☐

7. संस्था में कार्यरत कर्मचारी संबंधी विवरण

क्रमांक	कर्मचारी का नाम/पदनाम	उपलब्धता	अनुपलब्धता	मासिक मानदेय
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

8. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 के अंतर्गत उल्लेखित सभी शर्तों का पालन करते हैं/करेंगे यथा –

सफाई एवं शौचालय की व्यवस्था ☐

- कपड़े एवं विश्राम की व्यवस्था ☐
- भोजन की व्यवस्था ☐
- चिकित्सकीय व्यवस्था (मासिक चिकित्सकीय जॉच) ☐
- शिक्षा एवं कौशल प्रशिक्षण/पुर्नवास की व्यवस्था ☐
- मनोरंजन की व्यवस्था एवं ☐
- संस्था में निवासरत बच्चों से संबंधित सभी प्रकार के रिकार्ड मेन्टेनेन्स एवं एवं उनके संरक्षण की व्यवस्था ☐

9. **निम्न लिखित संलग्नों के साथ आवेदन करें :–**
   1. **संस्था के पंजीकरण, नियमावली एवं कार्यकारिणी की प्रमाणित प्रति**
   2. **संस्था के तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट एवं वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति**
   3. **संस्था की वर्तमान गतिविधियों का विस्तृत विवरण, अन्य स्त्रोतों से प्राप्त अनुदान एवं ऋण इत्यादि का विवरण ।**
   4. **संस्था में कार्यरत कर्मचारियों का विवरण उपरोक्त कंडिका–7 अनुसार**
   5. **बच्चों को रखने हेतु आपके पास क्या व्यवस्था है /प्रस्ताव ।**
   6. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016**के अनुसार आवश्यक प्रावधान का विवरण संलग्न है ।**
      (संस्था के लेटर हेड/शपथ पत्र के रूप में इन प्रावधानों का पालन करने का वचन पत्र प्रस्तुत करें।)

आवेदक के हस्ताक्षर
(अध्यक्ष/सचिव)
पदनाम एवं मुहर

घोषणा–पत्र

संगठन/प्रबंधन की तरफ से, मै यह घोषणा करता/करती हूं कि आवेदक संस्था गृह के संचालन के लिए किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 एंव किशोर न्याय नियम 2016 के में उल्लेखित प्रावधानों के अनुपालन हेतु सहमत है। संस्था किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अधीन दी गई शर्तो का अनुपालन करेगी तथा सभी तरह की सूचनाओं/प्रतिवेदनों/वांछित दस्तावेजो तथा शासन के सभी निर्देशो के पालन के लिए सहमत रहेगी ।

आवेदक के हस्ताक्षर
(अध्यक्ष/सचिव)
पदनाम एवं मुहर

स्थान – ----------
दिनांक – ----------

ANNEXURE VIII - OPEN SHELTERS FOR CHILDREN IN NEED FOR URBAN & SEMI-URBAN AREAS

1. *Financial Support for a Unit of 25 Children*

S.N.	Item	Amount (in Rs.)
A. Non-recurring Expenditure (once in five year)		
1.	Furniture including mattresses for children, 25 steel lockers, cupboards, tables and chairs etc.	1,50,000
2.	Two Computers with UPS (including cost of software license) and one printer cum scanner	90,000
3.	One Color Television	15,000
4	Equipments for sports, entertainment, vocational training and kitchen along with utensils, gas stove, water filter, etc.	2,50,000
	Total	**5,05,000**
B. Recurring Expenditure (per annum)		
5	Maintenance @ Rs. 2000 per child per month (food, @ Rs. 1400 and Rs. 600 for clothing, medicine, soap, oil, etc.)- (Rs.2000 x 25 children x12 months)	6,00,000
6	Rent for hired building or maintenance for self-owned building for:	
	(a) Open Shelters @ Rs. 17,500 per month (Subject to actuals)[1]	2,10,000
	(b) Three Contact Points @ Rs. 2,600 per month (Subject to actuals)[2]	93,600
7.	Water and electricity charges @ Rs. 2,600 per month (subject to actuals)	31,200
8.	Contingencies (postage, stationary, telephone, photocopy etc.) @ Rs. 2,600 per month	31,200
9.	Transportation charges @ Rs. 2,600 per month	31,200
10.	Miscellaneous for outings, books for library, play materials, educational/sports equipments, etc. @ Rs. 4,000 per month (subject to actuals)	48,000
11.	**Salary:**	
	One Project Coordinator cum Counsellor @ Rs. 17,500 per month	2,10,000
	One Social Worker @ Rs. 14,000	1,68,000
	Two Care Givers cum Bridge Course Educators @ Rs. 9,000 per month	2,16,000
	Three Outreach Workers[3] @ Rs. 8,000 per month	2,88,000

S.N.	ITEM	AMOUNT (IN RS.)
	One Helpers for cleaning and cooking purposes @ Rs. 6,000 per month	72,000
	Total	**19,99,200**
	Total (A+B)	**25,04,200**

[1]*In Metro cities (Delhi, Kolkata, Mumbai, Chennai, Bangalore and Hyderabad) @ Rs.35,000 per month.*

[2]*In Metro cities (Delhi, Kolkata, Mumbai, Chennai, Bangalore and Hyderabad) @ Rs.5,000 per month. With support of DCPU, the voluntary organization running these contact points should make efforts to arrange for free accommodation for contact points at railway stations, bus stands and other public places.*

[3]*Number of Outreach Workers and Contact Points can be increased up to a maximum of five depending on the geographical area and number of children to be catered to by the program*

Note:

a) The financial support is provided for 25 children utilizing the services at night as well. During the day there would more children utilizing the services of the Open Shelters for intermittent periods. For Children availing services only during the day, a maintenance amount of Rs 1000 per child per month will be provided. Apart from the above, NGOs are encouraged to enroll the support of volunteers and raise funds from other sources to run the Open Shelters.

b) Any request for non-recurring component, in the interim period, may be provided if approved by the Project Approval Board (PAB).